

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली

## छुट्टी या छुट्टी की अवधि बढ़वाने के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम और पिता/पति का नाम : \_\_\_\_\_
2. पद/वेतनमान : \_\_\_\_\_
3. न्यायालय/अनुभाग/कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_
4. आवास भत्ता व अन्य क्षतिपूर्ति भत्ते  
(जो वर्तमान पद पर कार्य करते हुए प्राप्त हैं) : \_\_\_\_\_
5. अवकाश का प्रकार व अवधि : \_\_\_\_\_
6. किस आधार पर अवकाश ले रहे हैं : \_\_\_\_\_
7. रविवार या अन्य छुटियां, यदि हो, जो इस अवकाश : \_\_\_\_\_  
अवधि के आगे/पीछे हैं और आप उसे इनमें शामिल  
नहीं करना चाहते हैं : \_\_\_\_\_
8. पिछली बार छुट्टी से कब लौटे और वह किस प्रकार : \_\_\_\_\_  
की छुट्टी थी : \_\_\_\_\_
9. इस अवकाश अवधि के दौरान मैं.....वर्षों के : \_\_\_\_\_  
ब्लॉक के लिए अवकाश यात्रा रियायत लेना चाहता  
हूं/नहीं लेना चाहता हूं : \_\_\_\_\_
10. अवकाश अवधि के दौरान पता : \_\_\_\_\_

( आवेदक के हस्ताक्षर )  
तारीख सहित

11. पीठासीन अधिकारी/अनुभाग प्रभारी की अभ्युक्ति/सिफारिश : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर( तारीख सहित )  
पदनाम/मोहर

## **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली**

11. आवेदक का नाम : \_\_\_\_\_
12. पिता/पति का नाम : \_\_\_\_\_
13. पद : \_\_\_\_\_
14. नियुक्ति स्थल का पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **कार्यालय प्रयोग के लिए**

प्रमाणित किया जाता है कि अभिलेख (रिकार्ड) के अनुसार .....अर्जित अवकाश/परिवर्तित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश बकाया हैं। सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार दिनांक..... से .....तक आवेदित छुटियां स्वीकार्य हैं।

**( प्राधिकृत अधिकारी )**

दिनांक..... से ..... तक छुटियां मंजूर की जाती हैं। अधिकारी/कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि वह छुटियों से लौटने के तुरंत बाद अपने नियुक्ति स्थल पर सूचित (रिपोर्ट) करेगा।

**( सक्षम अधिकारी )**

संख्या...../अवकाश/प्रशासन/09 दिल्ली, दिनांक.....

- आवेदन व मंजूरी आदेश मूल प्रति सहित लेखा अनुभाग (सेवा पुस्तिका) को प्रेषित की जाती है।
- आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

**अधीक्षक ( प्रशासन )**

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
दिल्ली।